

CIRCULAR / EDUCATION DEPARTMENT | On 2 weeks ago

Shiksha Vibhag: Role and responsibilities of the offices and officers in Education Department of Rajasthan | शिक्षा विभाग राजस्थान के कार्यालयों एवं अधिकारियों के कार्य

Shiksha Vibhag अर्थात शिक्षा विभाग राजस्थान (**Education Department Rajasthan**) की राजस्थान के सर्वांगीण विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका हैं। राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य हैं। राजस्थान राज्य में शिक्षा के सार्वजनिकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ब्लॉक, जिला एवं संभाग पर कार्यालयों को स्थापना करके प्रभावी पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षकों के समयानुसार कार्य सम्पादित करने के साथ ही विद्यार्थियों हेतु गुणात्मक शिक्षण व्यवस्था का सञ्चालन किया जा रहा है। गत वर्ष इन समस्त कार्यालयों का पुनर्गठन करके शिक्षा व्यवस्था को नया आयाम प्रदान किया गया था।

कार्यालयों के पुनर्गठन एवं अधिकारियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व सम्बन्धी जारी दिशा निर्देश के अनुसार शिक्षा विभाग के नए कलेवर में शिक्षा विभाग राजस्थान के कार्यालयों एवं अधिकारियों के कार्य, भूमिका एवं दायित्व की जानकारी निम्नानुसार है। **Role and responsibilities of the offices and officers in Education department Rajasthan are as under..**

शिक्षा विभाग राजस्थान के प्रबंधन में नवीन परिवर्तन | New changes in Shiksha Vibhag of Rajasthan

1.1 राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन गुणवत्तापूर्ण व उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चितकरने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत में स्थित राजकीय विद्यालयों के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं प्रबन्धन हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम-259 के उपनियम (9) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा **क्रमांक: प.15(1)प्रार.**

शि./संस्थापन/2017 दिनांक 28.01.2017 से राज्य की समस्त 9894 ग्राम पंचायतों हेतु चिन्हित राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को (सामान्यतः ग्राम पंचायत का (आदर्श विद्यालय) पंचायत रिसोर्स सेन्टर (PRC) एवं सम्बंधित प्रधान को ग्राम पंचायत का पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) नामित किया गया है। इस आदेश द्वारा पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्धारण किया गया है। (परिशिष्ट-1)

1.2 राज्य सरकार के आज्ञा क्रमांक: प15(1) प्रार.शि./संस्थापन/2017 दिनांक 07.02.2017 द्वारा पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) एवं उनसे सम्बद्ध विद्यालयों को सर्व शिक्षा अभियान द्वारा जारी कार्यान्वयन के कार्यतंत्र (Frame work) के अनुसार क्रमशः संकुल केन्द्र प्रभारी (cc) एवं संकुल सन्दर्भ केन्द्र (CRC) घोषित किया गया है।(परिशिष्ट-2)

1.3 राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक: 15(1)प्राशि/2017 दिनांक 11.04.2017 के द्वारा पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस आदेश के द्वारा पंचायत क्षेत्र के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन ,प्रबन्धन,कार्य सम्पादन,आधारभूत संरचना/ सुविधाओं के सुदृढीकरण ,शैक्षणिक उन्नयन, विद्यालयों के पर्यवेक्षण का दायित्व पदेन **पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)** को दिया गया है तथा उससे सम्बद्ध विद्यालय को ग्राम पंचायत के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु **सन्दर्भ केन्द्र (Resource Center)** एवं **मार्गदर्शी विद्यालय (Mentor school)** के रूप में कार्य करना है। (परिशिष्ट-3)

1.4 मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सत्र 2018-19 से केन्द्रीय योजनाएं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (**रमसा**), सर्व शिक्षा अभियान (**एसएसए**) एवं शिक्षक शिक्षा (**टीई**) को एकीकृत कर समग्र शिक्षा अभियान (**समसा**) योजना संचालित की जायेगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय,नई दिल्लीभारत सरकार के अ.शा. पत्र

क्रमांक : 310563/2017 दिनांक 16.11.2017 एवं 11-2/2017-ईई,13 दिनांक 03.04. 2018 के अनुसार समग्र शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन (समसा) **Single State Implementation Society (SIS)** के माध्यम से किया जावेगा। तदनुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) एवं सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) को एकीकृत कर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद (**आरसीएससीई**) का गठन किये जाने की स्वीकृति राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक: प. 21 (32)प्राशि/आयो/2017 दिनांक 24.05.2018 द्वारा जारी की जा चुकी है। (परिशिष्ट- 4)

1.5 नवीन पुर्नगठित व्यवस्था के अनुसार राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद (RCSCE) राज्य में समग्र स्कूल शिक्षा (पूर्व प्राथमिक कक्षा से 12 तक) एवं समग्र शिक्षा अभियान (समसा) योजना से सम्ब. ...

Planning, Implementation & Monitoring हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी संस्था है। जिनका राज्य स्तर पर एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की है।

समग्र शिक्षा अभियान (समसा) के उद्देश्य एवं प्रमुख गतिविधियों का विवरण **परिशिष्ट-6** पर उपलब्ध है।

1.6 राज्य स्तर पर पुर्नगठन के पश्चात् राज्य में शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तर के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिये राज्य सरकार के आदेश क्रमांक **प. 21 (32) प्राशि/आयो/2017 पार्ट दिनांक 08.08.18** द्वारा वर्तमान में संचालित ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तर के कार्यालयों का पुर्नगठन कर संभाग, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर एकीकृत शिक्षा संकुल स्थापित किए गए हैं। (**परिशिष्ट- 8**)

1.7 राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.21 (32) प्राशि/आयो/2017 पार्ट दिनांक 08.08.18 के क्रम में संभाग, जिला एवं ब्लॉक स्तर नवगठित एकीकृत शिक्षा संकुलों के कार्य संचालन एवं कार्यरत अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

2. ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल के कार्य संचालन एवं कार्यरत अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व के संबंध में दिशा-निर्देश | Guidelines regarding operation of block level integrated education complex and work and responsibilities of working officers

2.1 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) एवं पदेन बीआरसीएफ

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) एवं पदेन बीआरसीएफ के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे-

2.1.1 संस्थापन सम्बन्धी कार्य एवं दायित्व

2.1.1 .1 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ ब्लॉक स्तरीय 'एकीकृत शिक्षा संकुल कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) का कार्य राजस्थान सेवा नियमों एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार करेंगे। ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कार्मिक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ के नियंत्रणाधीन होंगे।

2.1.1.2 ब्लॉक के समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों एवं माध्यमिक/उच्च

माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधानों के सेवाभिलेखों का संधारण ब्लॉक स्तरीय शिक्षा संकुल में किया जावेगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ इन अधिकारियों से संबंधित समस्त प्रक अवकाश स्वीकृति, वेतन वृद्धि स्वीकृति आदि के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

2.1.1.3 ब्लॉक के समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों एवं माध्यमिक/उच्च

माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधानों, व्याख्याताओं के एसीपी एवं स्थायीकरण के प्रस्ताव तैयार कर सीधे ही निदेशक को प्रेषित करेंगे।

2.1.1.4 ब्लॉक के तृतीय श्रेणी अध्यापकों, तृतीय श्रेणी पुस्तकालयध्यक्ष, तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक, तृतीय श्रेणी प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ सहायकों, प्रयोगशाला सेवक, जमादार एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के एसीपी स्वीकृति एवं स्थाईकरण प्रकरण संबंधित आहरण वितरण अधिकारी (DDO) द्वारा सीधे ही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) को प्रेषित किये जायेंगे।

2.1.1.5 बिन्दु संख्या 2.1.1.4 पर वर्णित कार्मिकों के अतिरिक्त ब्लॉक में कार्यरत अन्य सभी शैक्षणिक / मंत्रालयिक / गैर शैक्षणिक कार्मिकों/अधिकारियों के स्थाईकरण एवं एसीपी स्वीकृति के प्रकरण संबंधित आहरण वितरण अधिकारी (DDO) से तैयार करवाकर ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल कार्यालय के माध्यम से स्वीकृति हेतु सीधे ही सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे।

2.1.1.6 ब्लॉक में कार्यरत समस्त शैक्षणिक, मंत्रालयिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों (मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को छोड़कर) के सेवानिवृत्ति एवं पेंशन संबंधी प्रकरण संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) से तैयार करवाकर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से स्वीकृति हेतु पेंशन विभाग को प्रेषित करेंगे।

2.1.1.7 ब्लॉक में कार्यरत समस्त कार्मिकों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरण संबंधित **आहरण वितरण अधिकारी (DDO)** तैयार कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) को प्रेषित किये जायेंगे।

2.1.1.8 ब्लॉक में कार्यरत समस्त कार्मिकों के वेतन स्थिरीकरण प्रकरण संबंधित आहरण वितरण अधिकारी (DDO) तैयार कर संबंधित **जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)** को प्रेषित किये जायेंगे।

2.1.2 प्रशासनिक कार्य एवं दायित्व

2.1.2.1 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ ब्लॉक क्षेत्र के स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान के **प्रभारी अधिकारी (Officer Incharge)** होंगे तथा ब्लॉक क्षेत्र के समस्त पीईईओ एवं सीआरसीएफ, समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान एवं ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल के कार्मिक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ के प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

2.1.2.2 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.15(1)प्रा. शि./2017 दिनांक 11.04.2017 द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराएंगे। (परिशिष्ट-3) (ACBEO-1 के माध्यम से)

2 1 2 3 ब्लॉक क्षेत्र में विद्यालयों के अतल्लोक्त के संबंध में राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा एवं कक्षा शिक्षा /

गुणवत्ता शिक्षा/ पीईईओ/

2017-18/2171 दिनांक 30.05.17 में प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। (परिशिष्ट-7) (ACBEO-1 के माध्यम से)

2.1.2.4 राज्य सरकार आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा /माध्यमिक शिक्षा/सीमेट/राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं अति. जिला परियोजना समन्वयक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

2.1.2.5 ब्लॉक के सभी पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान की मासिक बैठक का आयोजन समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये हेतु उत्तरदायी होंगे। (ACBEO-2 के माध्यम से)

2.1.2.6 ब्लॉक क्षेत्र के विद्यालयों के विकास एवं स्कूल शिक्षा विभाग की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु अन्य विभागों यथा पंचायती राज ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत वितरण निगम इत्यादि से समन्वय स्थापित कर सहयोग प्राप्त करेंगे। (ACBO-1 के माध्यम से)

2.1.2.7 ब्लॉक क्षेत्र के विद्यालयों के विकास हेतु भामाशाह, औद्योगिक इकाईयों, जनप्रतिनिधियों एवं दानदाताओं से सीएसआर योगदान/जनसहयोग प्राप्त करने के संबंध में कार्यवाही करेंगे। (ACBO-2 के माध्यम से)

2.1.2.8 राजकीय विद्यालयों के नामकरण हेतु प्रस्ताव मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

2.1.2.9 ब्लॉक में निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर निशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त कार्यो यथा- प्रवेश प्रमाणीकरण, भौतिक सत्यापन, फीस पुनर्भरण, शिकायतों की जांच समस्या समाधान आदि से सम्बन्धित कार्य करेंगे।

2.1.2.10 ब्लॉक के समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चार माह में कम से कम एक बार(वर्ष में तीन बार) निरीक्षण करेंगे। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे। (ACBEO-2 के माध्यम से)

2.1.2.11 ब्लॉक क्षेत्र में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय /अन्य आवासीय विद्यालय/ शारदे छात्रावास एवं अन्य विभागीय छात्रावास /स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल/ विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए संचालित विद्यालयों का दो माह में कम से कम एक बार निरीक्षण करेंगे एवं अवलोकन रिपोर्ट

संधारित करवायेंगे। (अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय के माध्यम से)

2.1.3 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी (BRCF) के रूप में कार्य एवं ▲

2.1.3.1 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी (BRCF) ब्लॉक स्तरीय एकीकृत

शिक्षा संकुल समग्र शिक्षा अभियान के कार्यों के निष्पादन हेतु क्रमशः ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी (BRCP) एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र (BRC) के दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

2.1.3.2 ब्लॉक क्षेत्र में समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

2.1.3.3 समग्र शिक्षा अभियान योजना के क्रियान्वयन के संबंध में समय-समय पर आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जिला परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा जारी आदेश एवं निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

2.1.4 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी (BRCP) ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में पदस्थापित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी -प्रथम, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी -द्वितीय एवं अन्य अधिकारियों/कार्मिकों को कार्य आवंटन करेंगे।

2.2 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम(ACBO-1) | Block Elementary Education Officer and Additional Chief Block Education Officer First

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - प्रथम मुख्य ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में निम्नलिखित कार्य सम्पादित करेंगे :-

2.2.1 संस्थापन सम्बन्धी कार्य एवं दायित्व

2.2.1.1 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-प्रथम पुनर्गठन से पूर्व ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संपादित प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, राज सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.2(5) शिक्षा-1/प्रारशिक्षा/2003 दिनांक 02 अक्टूबर, 2010 के अनुसरण में ब्लॉक के तृतीय श्रेणी अध्यापकों के संस्थापन कार्य पंचायत

प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को आवंटित कार्यों को छोड़कर यथावत पंचायत समिति कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सम्पादित करेंगे। **(परिशिष्ट 8)**

2.2.1.2 ब्लॉक के निजी निक्षेप (PD) खाता मद के पदों पर कार्यरत शिक्षको /कार्मिकों के वेतन आहरण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश प.2(5) शिक्षा-1/प्राशि/2017 दिनांक 07.12.2017 एवं निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। **(परिशिष्ट- 9)**

2.2.1.3 राज्य सरकार के आदेश पं.15 (1) प्राशि/2017 दिनांक 11.4.2017 के अनुसार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के अधीन प्रारम्भिक शिक्षा (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक) के विधालयों छोड़कर शेष समस्त प्रारंभिक

संधारण, अवकाश स्वीकृति आदि कार्यों का निष्पादन करेंगे। (परिशिष्ट - 3)

2.2.1.4 ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल के स्तर पर निस्तारित होने वाले ब्लॉक के प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के शिक्षकों /कार्मिकों के संस्थापन, पेंशन संबंधी प्रकरणों की पत्रावलियों के संधारण परीक्षण एवं निस्तारण हेतु प्रभारी अधिकारी होंगे।

2.2.2 शैक्षणिक गुणवत्ता, उन्नयन तथा अन्य कार्य एवं दायित्व

2.2.2.1 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को देय समस्त छात्रवृत्तियों के प्रस्ताव पीईईओ /प्रधानों से प्राप्त कर भुगतान हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित करेंगे।

2.2.2.2 पूर्व प्राथमिक शिक्षा, आंगनबाड़ी समन्वयन, एसआईक्यूई, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाणपत्र परीक्षा, उपचारात्मक शिक्षण, मिड-डे मील/अन्नपूर्णा दूध योजना, राजकीय

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक एवं निजी विद्यालयों की सूचनाओं एवं पोर्टल संबंधित कार्य आदि समस्त कार्यों का सम्पादन निर्धारित लक्ष्यानुसार एवं निर्देशानुसार विद्यालयों का निरीक्षण से संबंधित कार्य।

2.2.2.3 आवंटित कार्यों के संबंध में शाला दर्पण/शाला दर्शन निजी विद्यालय पोर्टल तथा अन्य राजकीय पोर्टल पर आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि एवं अपडेशन तथा कार्यक्रम प्रगति की रिपोर्ट का अप्रेशण।

2.2.2.4 ब्लॉक में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार 2009 के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त कार्यों यथा- प्रवेश प्रमाणीकरण, भौतिक सत्यापन फीस पुनर्भरण, शिकायतों की जांच, समस्या समाधान आदि से सम्बन्धित कार्य के प्रभारी होंगे।

2.2.2.5 ब्लॉक के समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें संबंधित विद्यालयों को पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से वितरित करने का कार्य करेंगे।

2.2.2.6 ब्लॉक में उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे

2.2.2.7 ब्लॉक क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे।

2.2.2.8 ब्लॉक के पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधानों की मासिक बैठक हेतु प्रभारी अधिकारी होंगे।

2.2.2.9 ब्लॉक के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अवलोकन/ निरीक्षण से संबंधित प्रकरणों की पत्रावलियों के संधारण, परीक्षण एवं निस्तारण हेतु प्रभारी अधिकारी होंगे।

2.2.3 समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित कार्य एवं दायित्व

2.2.3.1 ब्लॉक के विद्यालयों में बालिका शिक्षा से संबंधित गतिविधियों एवं आवासीय विद्यालयों/छात्राश्रम के संचालन एवं पर्यवेक्षण संबंधी कार्य करेंगे।

2.2.3.2 ब्लॉक के समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यशालाओं शैक्षणिक गुणवत्ता संबंधी शोध/मूल्यांकन कार्यों के आयोजन एवं पर्यवेक्षण संबंधी कार्य करेंगे।

2.2.3.3 कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों में शैक्षणिक गुणवत्ता विकास हेतु संचालित एसआईक्यूई कार्यक्रम एवं संबंधित गतिविधियों के संचालन एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

2.2.3.4 कक्षा 6 एवं 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन संबंधी कार्य करेंगे।

2.2.3.5 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु संचालित शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण।

2.2.3.6 गुणवत्ता शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।

2.2.4 उपर्युक्त आवंटित कार्यों के अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी (BRCF) द्वारा समय-समय पर आवंटित कार्य सम्पादित किये जाएंगे।

2.3 अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय (ACBE0-2) | Additional Chief Block Education Officer II

अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - द्वितीय मुख्य ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में निम्नलिखित कार्य सम्पादित करेंगे

2.3.1 संस्थापन सम्बन्धी कार्य एवं दायित्व

2.3.1.1 ब्लॉक एकीकृत शिक्षा संकुल से होने वाले संस्थापन संबंधी प्रकरणों (2.2.1) के अनुसार बीईईओ व एसीबीईओ-1 को आवंटित कार्य के अतिरिक्त) की पत्रावलियों का संधारण, परीक्षण एवं निस्तारण हेतु प्रभारी अधिकारी होंगे।

2.3.1.2 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ को ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO)के कार्य सम्पादन से संबंधित प्रकरणों की पत्रावलियों का संधारण, परीक्षण एवं निस्तारण हेतु प्रभारी अधिकारी होंगे।

2.3.1.3 ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल के स्तर पर निस्तारित होने वाले ब्लॉक के माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के शिक्षकों कार्मिकों के संस्थापन, पेंशन संबंधी प्रकरणों की पत्रावलियों के संधारण, परीक्षण एवं निस्तारण हेतु प्रभारी अधिकारी होंगे।

2.3.2 शैक्षणिक गुणवत्ताउन्नयन तथा अन्य कार्य एवं दायित्व

2.3.2.1 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को देय समस्त छात्रवृत्तियों के प्रस्ताव पीईईओ/संस्था प्रधानों से प्राप्त कर भुगतान हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा प्रेषित करना।

2.3.2.2 सूचना का अधिकार, विधान सभा/लोक सभा/राज्य सभा/ऑडिट पैरा संबंधी प्रश्नों एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त बिन्दुओं पर सूचना टिप्पणी प्रेषित करने सम्बन्धी कार्य, न्यायालय प्रकरण, चोरी एवं गबन के प्रकरण, ब्लॉक के विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा, सार्वजनिक परीक्षा संबंधी कार्य निर्धारित लक्ष्यानुसार एवं निर्देशानुसार विद्यालयों का निरीक्षण से संबंधित कार्य।

2.3.2.3 आवंटित कार्यों के संबंध में शाला दर्पण/शाला दर्शन निजी विद्यालय पोर्टल तथा अन्य राजकीय पोर्टल पर आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि एवं अपडेशन तथा कार्यक्रम प्रगति की रिपोर्ट का अप्रेशन।

2.3.2.4 ब्लॉक में निजी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त कार्यों यथा- प्रवेश प्रमाणीकरण, भौतिक सत्यापन, फीस पुनर्भरण, शिकायतों की जांच, समस्या समाधान आदि से सम्बन्धित कार्य के प्रभारी होंगे।

2.3.2.5 ब्लॉक के समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें संबंधित विद्यालयों को वितरित करनेका कार्य करेंगे।

2.3.2.6 माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे।

2.3.2.7 ब्लॉक के समस्त विद्यालयों में नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट विद्यार्थियों के सर्वे एवं संबंधित गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी होंगे।

2.3.2.8 ब्लॉक में आदर्श विद्यालय योजना के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों के क्रियान्वयन पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

2.3.2.9 ब्लॉक के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के निरीक्षण/अवलोकन के कार्य से संबंधित पत्रावलियों के संधारण, परीक्षण एवं निस्तारण हेतु प्रभारी अधिकारी होंगे।

2.3.3 समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित कार्य एवं दायित्व

2.3.3.1 ब्लॉक के तृतीय श्रेणी अध्यापकों के अतिरिक्त अन्य समस्त शिक्षकों कार्मिकों/अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यशालाओं के आयोजन एवं पर्यवेक्षण संबंधी कार्य करेंगे।

2.3.3.2 कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु संचालित व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

2.3.3.3 कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु संचालित डिजीटल शिक्षा कार्यक्रम यथा कल्प, स्मार्ट क्लास, आईसीटी एवं अन्य आईटी संबंधित गतिविधियों के संचालन एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

2.3.3.4 ब्लॉक के समस्त विद्यालयों में आधारभूत संरचना निर्माण एवं विकास विद्यालय स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन संबंधी कार्य करेंगे।

2.3.3.5 ब्लॉक में संचालित स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालयों के सुचारु संचालन प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

2.3.3.6 ब्लॉक के समस्त विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता एवं यू-डाइस से संबंधित गतिविधियों के आयोजन एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

2.3.4 उपर्युक्त आवंटित कार्यों के अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी (BRCE) द्वारा समय-समय पर आवंटित कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

3. जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व

3.1 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO) एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे :

3.1.1 संस्थापन सम्बन्धी कार्य एवं दायित्व

3.1.1.1 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान स्वयं के एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) के रूप में राजस्थान सेवा नियमों एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे।

3.1.1.2 जिला स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कार्मिक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान के नियंत्रणाधीन होंगे।

3.1.1.3 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं जिला परियोजना कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक, प्राचार्य- डाइट, एडीपीसी-समसा एवं समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के सेवाभिलेखों का संधारण, अवकाश प्रकरण, वेतन वृद्धि स्वीकृति, वेतन स्थिरीकरण, एसीपी, पेंशन आदि कार्य सम्पादित करेंगे। (संस्थापन अधिकारी के माध्यम से)

3.1.1.4 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी /पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक से प्राप्त अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों को संयुक्त निदेशक कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

3.1.2 प्रशासनिक कार्य एवं दायित्व

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक अपने जिले से संबंधित प्रशासनिक कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन निम्न प्रकार से करेंगे

3.1.2.1 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक जिला क्षेत्र के स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान के प्रभारी अधिकारी (Officer In Charge) होंगे एवं जिला क्षेत्र के समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा

अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी (BRCE) , जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक एवं माध्यमिक अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (ANPC) एवं प्रधानाचार्य-डाइट इनके प्रशासनिक

नियंत्रण एवं

पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

3.1.2.2 जिले में विद्यालयों के अवलोकन के संबंध में राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा

परिषद जयपुर के पत्र क्रमांक राप्राशिप / गुणवत्ता शिक्षा/पीईईओ/ 2017-18/2171 दिनांक 30.05.2017 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। **(परिशिष्ट-7)**

3.1.2.3 राज्य सरकार, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवम राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राज्य परियोजना

निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा सीमेट / राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

परिषद एससीईआरटी)संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

3.1.2.4 जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली जिला निष्पादक समिति की मासिक बैठक

एवं जिले के सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की बैठकों का आयोजन समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जाने हेतु उत्तरदायी होंगे। **(सहायक निदेशक के माध्यम से)**

3.1.2.5 जिला क्षेत्र के विद्यालयों के विकास एवं स्कूल शिक्षा विभाग की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के

प्रभावी संचालन हेतु अन्य विभागों यथा पंचायती राज , ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत वितरण निगम इत्यादि से समन्वय स्थापित कर सहयोग प्राप्त करेंगे **(प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से)**

3.1.2.6 जिला क्षेत्र के विद्यालयों के विकास हेतु भामाशाह, औद्योगिक इकाईयों एवं दानदाताओं से

सीएसआर योगदान/जनसहयोग प्राप्त करने के संबंध में कार्यवाही करेंगे **(प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से)**

3.1.2.7 जिला क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों के नामकरण हेतु प्रस्ताव सक्षम स्तर को प्रेषित करेंगे।

3.1.2.8 जिले में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत निजी

विद्यालयों की प्रवेश कक्षाओं की 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे।

3.1.2.9 सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ऑडिट

पैरा संबंध प्रश्नों एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त बिन्दुओं पर सूचना / टिप्पणी, न्यायालय प्रकरणों पर समयानुसार उचित कार्यवाही की सुनिश्चितता।

3.1.2.10 जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों, डाईट, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का वर्ष में न्यूनतम 3 बार निरीक्षण करेंगे।

3.1.2.11 विभाग/ परिषद कार्यालय द्वारा विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचनाओं की शाला

दर्पण/ शाला दर्शन एवं विभागीय पोर्टल पर प्रविष्टि अपडेट/उपलब्ध करवाये जाने की सुनिश्चितता।

3.1.2.12 जिला एवं राज्य स्तरीय बैठकों में जिले की शैक्षिक एवं अन्य कार्यक्रमों/गतिविधियों से सम्ब **▲**

प्रगति का प्रस्तुतिकरण करेंगे।

3.1.2.13 अपने क्षेत्राधिकार में कर्मचारियों / शिक्षकों की आवश्यकता आपूर्ति, समायोजन समानीकरण संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे और तदर्थ निर्धारित प्रक्रिया के अधीन उस सन्दर्भ में उपयुक्त माध्यम से समुचित कार्यवाही करेंगे।

3.1.2.14 जिले में स्थित शिक्षा विभाग/ परियोजना कार्यालयों के मध्य आपसी सामंजस्य एवं समन्वय की सुनिश्चितता।

3.1.3 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक (DPC) के रूप में कार्य एवं दायित्व

3.1.3.1 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक जिला स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल समग्र शिक्षा अभियान के कार्यों के निष्पादन हेतु जिला परियोजना समन्वयक के दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

3.1.3.2 जिला क्षेत्र में समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन , पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

3.1.3.3 समग्र शिक्षा अभियान योजना के क्रियान्वयन के संबंध में समय-समय पर आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद , राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान द्वारा जारी आदेशों एवं निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराएंगे।

3.1.4 जिला स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में पदस्थापित अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक एवं माध्यमिक को आवंटित सभी कार्यों स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान संबंधी समस्त गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर्यवेक्षण एवं निर्धारित समयावधि में लक्ष्य प्राप्ति हेतु उत्तरदायी होंगे।

3.2 अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे :

3.2.1 संस्थापन सम्बन्धी कार्य एवं दायित्व

3.2.1.1 समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले में संचालित कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय ,मेवात/ शारदे छात्रावास एवं परियोजनान्तर्गत अन्य आवासीय विद्यालय छात्रावासों में कार्यरत कार्मिकों के सेवाभिलेख संधारण, वेतन, मानदेय आदि भुगतान, वेतन वृद्धि, वेतन स्थिरीकरण, अवकाश स्वीकृति आदि का कार्य करेंगे।

3.2.1.2 जिले में समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित नियमित एवं आवश्यक सूचनाएं कार्मिक आवश्यकताओं ,पदस्थापन/ नियोजन सम्बन्धी प्रस्ताव दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

3.2.2 प्रशासनिक, शैक्षिक उन्नयन तथा अन्य कार्य एवं दायित्व

3.2.2.1 जिले में ब्लॉक एवं पंचायत स्तरीय परियोजना कार्यालय एवं परियोजना गतिविधियों का प्रभावी

कार्य-निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।

3.2.2.2 परियोजना कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना के अधिकार, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ऑडिट पैरा संबंधी प्रश्नों एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त प्रकरणों, चोरी एवं गबन प्रकरणों पर समयानुसार उचित कार्यवाही।

3.2.2.3 परियोजना से संबंधित न्यायालय प्रकरणों के प्रभारी अधिकारी का कार्य करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

3.2.2.4. जिला एवं राज्य स्तरीय बैठकों में जिले के समग्र शिक्षा अभियान सम्बन्धी कार्यक्रमों की शैक्षिक एवं अन्य कार्यक्रमों/गतिविधियों सम्बन्धित प्रगति का प्रस्तुतिकरण।

3.2.2.5 समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना में विभिन्नप्रकोष्ठ, कम्पोनेंटवार अनुमोदित गतिविधियों का निर्देशानुरूप निर्धारित बजट राशि एवं समयावधि के अनुसार क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण करेंगे।

3.2.2.6 समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले में संचालित कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय, मेवात / शारदे छात्रावासस्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालय एवं परियोजनान्तर्गत अन्य आवासीय विद्यालय /छात्रावास का सफल संचालन एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे।

3.2.2.7 परियोजनान्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों के संचालन व पर्यवेक्षण की सुनिश्चितता एवं इस हेतु आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे।

3.2.2.8 जिले में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से संबंधित लाभकारी योजनाओं की क्रियान्विति सुनिश्चित करेंगे।

3.2.2.9 परियोजना सम्बन्धी समस्त कार्यों की प्रगति की सूचनाओं का शाला दर्शन/शाला दर्पण/निजी विद्यालय पोर्टल/PFMS पोर्टल पर प्रविष्टि एवं अपडेशन का कार्य करेंगे।

3.2.2.10 शाला दर्पण / शाला दर्शन पोर्टल पर समस्त सूचनाओं की प्रविष्टि एवं अद्यतन हेतु जिले के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य एवं समन्वय करेंगे।

3.2.3 उपर्युक्त आवंटित कार्यों के अतिरिक्त, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक (DPC)द्वारा समय-समय पर आवंटित कार्य सम्पादित किये जाएंगे।

3.3 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)प्रारम्भिक के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे:

3.3.1 संस्थापन सम्बन्धी कार्य एवं दायित्व

3.3.1.1 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक स्वयं के कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में राजस्थान सेवा नियमों एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का

उपयोग एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे।

3.3.1.2 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारिय

कर्मचारियों के प्रेरणाभिलेखों का संभारण अतःकाम पकरण तेतन तदि स्वीकृति तेतन

स्थिरीकरण, स्थायीकरण, एसीपी, पेंशन

आदि कार्य किया जावेगा।

3.3.1.3 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक पुनर्गठन से पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक द्वारा सम्पादित प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग राज0 सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक:

प.2(5)शिक्षा-1/प्रारशिक्षा/2003 दिनांक 02 अक्टूबर 2010 के अनुसरण में जिले के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी अध्यापकों के संस्थापन कार्य यथावत जिला परिषद कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सम्पादित करेंगे। **(परिशिष्ट-8)**

3.3.1.4 विभागीय आदेश क्रमांक प. 2(5) शिक्षा-1/प्राशि /2003 दिनांक 31.01.2017 के अनुसार सीधी भर्ती से प्राप्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों की प्रथम नियुक्ति पर काउन्सलिंग के माध्यम से पदस्थापन संबंधी कार्य करेंगे। **(परिशिष्ट- 10)**

3.3.1.5 स्वयं के कार्यालय एवं जिले के आहरण वितरण अधिकारी (DDO) कार्यालयों से प्राप्त प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों, तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक, कनिष्ठ सहायकों, जमादार एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के एसीपी एवं स्थाईकरण प्रकरण निस्तारित किये जाएंगे।

3.3.1.6 स्वयं के कार्यालय एवं जिले के आहरण वितरण अधिकारी (DDO) कार्यालयों से प्राप्त प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरणों को आवश्यक कार्यवाही हेतु संयुक्त निदेशक कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

3.3.1.7 स्वयं के कार्यालय एवं जिले के आहरण वितरण अधिकारी (DDO) कार्यालयों से प्राप्त प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन स्थिरीकरण प्रकरणों का निस्तारण करेंगे।

3.3.1.8 जिले के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापक नियुक्ति अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति, पुरस्कार, निलम्बन, दण्ड, बर्खास्तगी, सेवानिवृत्ति, सेवा समाप्ति आदि दायित्वों का सम्बन्धित नियमों के अधीन निर्वहन करेंगे।

3.3.1.9 जिले के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापक एवं समकक्ष कार्मिकों, जमादार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण प्रस्ताव तैयार कर सक्षम अधिकारी को प्रेषित करेंगे।


3.3.1.10 तृतीय श्रेणी अध्यापकों की वर्ष 1998-99 एवं इसके पश्चातवर्ती वर्षों की जिला स्तरीय वरिष्ठता सूचियों का निर्माण एवं संधारण करेंगे।

3.3.2 प्रशासनिक, शैक्षिक उन्नयन तथा अन्य कार्य एवं दायित्व

3.3.2.1 राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5 (8) प्राशि/2016 दिनांक 21.04.2016

के अनुसार जिले के समस्त राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक कार्मिकों के पदों का विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण (स्टाफिंग पैटर्न निर्धारण) हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(परिशिष्ट-11)

3.3.2.2 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जिले के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों  अध्ययनरत विद्यार्थियों को देय समस्त छात्रवृत्तियों के प्रस्ताव का परीक्षण का तदनुसार भूगतान की कार्यवाही

करेंगे।

3.3.2.3 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर के निजी विद्यालयों को विभागीय निर्देशानुसार मान्यता क्रमोन्नति सम्बन्धी समस्त कार्य करेंगे साथ ही उक्त विद्यालयों का प्राधिकृत अधिकारों एवं मानदंडों के अनुसार परिवीक्षण अनुवर्तन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही करेंगे।

3.3.2.4 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक निजी विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत प्रारम्भिक प्रवेश कक्षाओं की 25 प्रतिशत सीटों पर निशुल्क प्रवेश संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे।

3.3.2.5 प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों का प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में एकीकरण, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नति, नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नामकरण संबंधी आवश्यक कार्यवाही कर सक्षम कार्यालय को प्रेषित करेंगे एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

3.3.2.6 सूचना का अधिकार, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ऑडिट पैरा संबंध प्रश्नों एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त प्रकरणों चोरी एवं गबन प्रकरणों पर समयानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3.3.2.7 प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से संबंधित न्यायालय प्रकरणों के प्रभारी अधिकारी का कार्य करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

3.3.2.8 कार्यालय परिक्षेत्र के पीईईओ कार्यालय / प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के आय-व्ययक अनुमान जिला स्तर पर संकलित कर निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे तथा बजट आवंटन की कार्यवाही करवायेंगे

3.3.2.9 जिले के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की टी0सी0 , अध्यापकों के अनुभव प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर, नाम एवं जन्मतिथि में संशोधन सम्बंधित कार्य करेंगे।

3.3.2.10 जिले के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कार्य का प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे।

3.3.2.11 पूर्व प्राथमिक शिक्षा आंगनबाडी समन्वयन आरटीई (प्रारम्भिक शिक्षा), एसआईक्यूई, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाणपत्र परीक्षा, उपचारात्मक शिक्षण, मिड-डे मील/अन्नपूर्णा दूध योजना, राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक एवं निजी विद्यालयों की सूचनाओं एवं पोर्टल संबंधित कार्य आदि समस्त कार्यों का सम्पादन के संबंध में प्रभावी निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करेंगे साथ ही निर्धारित लक्ष्यानुसार एवं निर्देशानुसार विद्यालयों का निरीक्षण से संबंधित कार्य भी करेंगे।

3.3.2.12 जिले में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की योजनाओं एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना की क्रियान्विति हेतु नोडल अधिकारी होंगे।

3.3.2.13 जिले में बीएड/बीएसटीसी के छात्राध्यापकों को इन्टर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटन पश्चात् प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे।

3.3.2.14 आवंटित कार्यों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों से सम्बन्धित जिले की सूचनाओं को शाला दर्शन, शाला दर्पण, निजी विद्यालय पोर्टल पर प्रविष्ट/ अपडेट/

उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3.3.2.15 विभाग सम्बन्धी प्रारम्भिक शिक्षा की गतिविधियों / कार्यक्रम के सम्बन्ध में सीएमआईएस पोर्टल, सुगम पोर्टल, लाईट्स, 15 सूत्री कार्यक्रम आदि के सम्बन्ध में सूचना प्रविष्टि एवं अपडेशन हेतु उत्तरदायी होंगे।

3.3.2.16 उक्त के अतिरिक्त पुनर्गठन से पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालयों द्वारा किये जा रहे कार्यों में से जो कार्य मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अथवा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को आवंटित नहीं किये गए हैं, वे कार्य यथावत जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक द्वारा किये जाते रहेंगे।

3.3.3 उपर्युक्त आवंटित कार्यों के अतिरिक्त, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक (DPC) द्वारा समय-समय पर आवंटित कार्य सम्पादित किये जाएंगे।

3.4 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे।

3.4.1 संस्थापन सम्बन्धी कार्य एवं दायित्व

3.4.1.1 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक स्वयं के कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में राजस्थान सेवा नियमों एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे।

3.4.1.2 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवाभिलेखों का संधारण, अवकाश प्रकरण, वेतन वृद्धि स्वीकृति, वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, एसीपी, पेंशन आदि कार्य किया जावेगा।

3.4.1.3 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापक के पदस्थापन एवं स्थानान्तरण तथा तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सेवक, जमादार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति, पदस्थापन एवं स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्य करेंगे।

3.4.1.4 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापक, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सेवक, जमादार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तृतीय श्रेणी अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति, पुरस्कार, निलम्बनदण्ड, बर्दास्तगी, सेवानिवृत्ति, सेवा समाप्ति आदि दायित्वों का सम्बन्धित नियमों के अधीन निर्वहन करेंगे।

3.4.1.5 स्वयं के कार्यालय एवं जिले के आहरण वितरण अधिकारी (DDO) कार्यालयों से प्राप्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों/ब्लॉक कार्यालयों में कार्यरत समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों, तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक, तृतीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष, तृतीय श्रेणी प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ सहायकों, प्रयोगशाला सेवक, जमादार एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के एसीपी एवं स्थाईकरण प्रकरण निस्तारित किये जाएंगे। ▲

3.4.1.6 स्वयं के कार्यालय एवं जिले के आहरण वितरण अधिकारी कार्यालयों (DDO) से प्राप्त माध्यमिक/

उच्च माध्यमिक विद्यालयों /ब्लॉक कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरणों को आवश्यक कार्यवाही हेतु संयुक्त निदेशक कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

3.4.1.7 स्वयं के कार्यालय एवं जिले के आहरण वितरण अधिकारी (DDO) कार्यालयों से प्राप्त माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों/ ब्लॉक कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन स्थरीकरण प्रकरणों का निस्तारण करेंगे।

3.4.1.8 जिला स्तरीय तृतीय श्रेणी प्रयोगशाला सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष कनिष्ठ सहायक /प्रयोगशाला सेवक /जमादार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जिला स्तरीय वरिष्ठता सूचियों का निर्माण एवं संधारण करेंगे। तृतीय श्रेणी अध्यापकों की वर्ष 1997-98 एवं इससे पूर्ववर्ती वर्षों की जिला स्तरीय वरिष्ठता सूचियों का निर्माण एवं संधारण करेंगे।

3.4.2 प्रशासनिक, शैक्षिक उन्नयन तथा अन्य कार्य एवं दायित्व

3.4.2.1 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जिले के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में को छात्रवृत्तियों अध्ययनरत विद्यार्थियों देय समस्त के प्रस्ताव का परीक्षण का तदनुसार भुगतान की कार्यवाही करेंगे।

3.4.2.2 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के निजी विद्यालयों को विभागीय निर्देशानुसार मान्यता क्रमोन्नति सम्बन्धी समस्त कार्य करेंगे साथ ही उक्त विद्यालयों का प्राधिकृत अधिकारों एवं मानदंडों के अनुसार परिवीक्षण अनुवर्तन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही करेंगे।

3.4.2.3 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक निजी विद्यालयों में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत प्रारम्भिक प्रवेश कक्षाओं की 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे।

3.4.2.4 सूचना का अधिकार, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा ऑडिट पैरा संबंध प्रश्नों एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त प्रकरणों, चोरी एवं गबन प्रकरणों पर समयानुसार उचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3.4.2.5 माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित न्यायालय प्रकरणों के प्रभारी अधिकारी का कार्य करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

3.4.2.6 जिले के विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा, सार्वजनिक परीक्षा संबंधी कार्यनिर्धारित लक्ष्यानुसार एवं निर्देशानुसार विद्यालयों का निरीक्षण से संबंधित कार्य।

3.4.2.7 जिले के माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की टी0सी0 अध्यापकों के अनुभव प्रमाण पत्र पर प्रति-हस्ताक्षर एवं नाम एवं जन्मतिथि में संशोधन सम्बन्धी कार्य करेंगे।

3.4.2.8 कार्यालय परिक्षेत्र के माध्यमिक/माध्यमिक आय-व्ययक अनुमान उच्च विद्यालय के जिला स्तर पर संकलित कर निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे तथा बजट आवंटन की कार्यवाही करवायेंगे।

3.4.2.9 जिले के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कार्य का प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे।



3.4.2.10 जिले के समस्त राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों/अध्यापकों कार्मिकों की विभागीय खेलकूद एवं अन्य प्रतियोगिताओं निजी विद्यालयों की खेलकूद प्रतियोगिताओं अन्य प्रतियोगिताओं, जिला स्तरीय समारोह, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, कब, बुलबुल आदि योजनाओं के संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे।
उप जिला शिक्षा अधिकारी **(शारीरिक शिक्षा के माध्यम से)**

3.4.2.11 जिला एवं राज्य स्तरीय बैठकों में जिले के माध्यमिक शिक्षा के प्रतिनिधिके रूप में जिले की शैक्षिक एवं अन्य कार्यक्रमों/गतिविधियों से सम्बन्धित प्रगति को प्रस्तुत करेंगे।

3.4.2.12 जिले में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति तथा एकीकरणनामकरण सम्बन्धी प्रस्तावों को विभागीय दिशा-निर्देशानुसार तैयार करवाकर निदेशालय को प्रेषित करेंगे।

3.4.2.13 माध्यमिक शिक्षा संबंधी विभागीय गतिविधियों/कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सीएमआईएस पोर्टल, सुगम पोर्टल, लाईट्स, 15 सूत्री कार्यक्रम आदि के सम्बन्ध में सूचना प्रविष्टि एवं अपडेशन हेतु उत्तरदायी होंगे।

3.4.2.14 जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग की योजनाओं एवं आदर्श विद्यालय योजना की कियान्वति हेतु नोडल अधिकारी होंगे।

3.4.2.15 आवंटित कार्यों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों से सम्बन्धित जिले की सूचनाओं को शाला दर्शन/शाला दर्पण/निजी विद्यालय पोर्टल प्रविष्टि/ अपडेट /उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3.4.3 उपर्युक्त आवंटित कार्यों के अतिरिक्त, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक (DPC) द्वारा समय-समय पर आवंटित कार्य सम्पादित किये जाएंगे।

4. सम्भाग स्तरीय अधिकारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व

4.1 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा शिक्षा सम्भाग अधिकारी

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (शिक्षा सम्भाग अधिकारी) के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे

4.1.1 संस्थापन सम्बन्धी कार्य एवं दायित्व

4.1.1.1 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा शिक्षा सम्भाग अधिकारीस्वयं के कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) के रूप में राजस्थान सेवा नियमों एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे।

4.1.1.2 सम्भाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में कार्यरत समस्त अधिकारी, कार्मिक एवं सम्भाग के जिलों में कार्यरत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा (शिक्षा सम्भाग अधिकारी) के नियंत्रणाधीन होंगे।

4.1.1.3 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा शिक्षा सम्भाग अधिकारी) कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारी कर्मचारियों एवं सम्भाग के जिलों में कार्यरत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों के सेवाभिलेखों का

संभागगत शतकक्षा परीक्षा के तैयारी एवं प्रतिक्रिया के तैयारी के लिए जिला स्तरीय परीक्षा के तैयारी के लिए कार्य सम्पादन करेंगे।

4.1.1.4 स्वयं के कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालयसे प्राप्त अनुकम्पा।

नियुक्ति प्रकरणों को निदेशालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

4.1.1.5 सम्भाग में कार्यरत द्वितीय श्रेणी अध्यापक द्वितीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक, द्वितीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष, द्वितीय श्रेणी प्रयोगशाला सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारीवरिष्ठ सहायक, आशुलिपिक के नियुक्ति, पदस्थापन एवं स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्य करेंगे।

4.1.1.6 सम्भाग में कार्यरत द्वितीय श्रेणी अध्यापक, द्वितीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक, द्वितीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष, द्वितीय श्रेणी प्रयोगशाला सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारीवरिष्ठ सहायक, आशुलिपिक की प्रतिनियुक्ति, पुरस्कार, निलम्बन, दण्ड, बर्खास्तगी, सेवानिवृत्ति, सेवा समाप्ति आदि दायित्वों का सम्बन्धित नियमों के अधीन निर्वहन करेंगे।

4.1.1.7 सम्भाग में कार्यरत द्वितीय श्रेणी अध्यापक, द्वितीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक, द्वितीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष, द्वितीय श्रेणी प्रयोगशाला सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, आशुलिपिक के एसीपी एवं स्थाईकरण प्रकरण निस्तारित किये जाएंगे।

4.1.1.8 तृतीय श्रेणी अध्यापक शारीरिक शिक्षक/प्रयोगशाला सहायक / पुस्तकालयाध्यक्ष, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक की सम्भाग स्तरीय वरिष्ठता सूचियों का निर्माण एवं संधारण करेंगे।

4.1.1.9 वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष पदोंसहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ सहायक पद की पदोन्नति एवं पदस्थापन का कार्य सम्पादित करेंगे।

4.1.1.10 वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष पदों, सहायक प्रशासनिक अधिकारी की सम्भाग स्तरीय वरिष्ठता सूचियों का निर्माण कर निदेशालय को प्रेषित करेंगे।

4.1.2 प्रशासनिक कार्य एवं दायित्व

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा शिक्षा सम्भाग अधिकारी) अपने सम्भाग से संबंधित प्रशासनिक कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन निम्न प्रकार से करेंगे :

4.1.2.1 सम्भाग के समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा शिक्षा सम्भाग अधिकारी) के प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

4.1.2.2 सम्भाग में विद्यालयों के अवलोकन के संबंध में राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर के पत्र क्रमांक राप्राशिप गुणवत्ता शिक्षा/ पीईईओ/2017-18/ 2171 दिनांक 30.05. 2017 में प्रदत्त दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित कराएंगे। **(परिशिष्ट-7)**

4.1.2.3 राज्य सरकार, आयुक्तस्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

4.1.2.4 सम्भाग के समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/ माध्यमिक, प्राचार्य डाइट की मासिक बैठक का आयोजन कर विभागीय गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की पूर्णता की समीक्षा करेंगे।

4.1.2.5 सम्भाग के जिलों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत

निजी विद्यालयों की प्रवेश कक्षाओं की 25 प्रतिशत सीटों पर निशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे।

4.1.2.6 सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ऑडिट पैरा संबंध प्रश्नों एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त बिन्दुओं पर सूचना टिप्पणीन्यायालय प्रकरणों पर समयानुसार उचित कार्यवाही की सुनिश्चितता करेंगे।

4.1.2.7 सम्भाग के जिला स्तरीय कार्यालयों एवं डाईट का वर्ष में न्यूनतम 2 बार निरीक्षण करेंगे। सम्भाग के प्रत्येक जिले का 2 माह में एक बार न्यूनतम 2 दिवस का भ्रमण कर विभागीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे।

4.1.2.8 सम्भाग के जिलों से सम्बन्धित सूचनाओं की शाला दर्पण शाला दर्शन एवं विभागीय पोर्टल पर प्रविष्टि अपडेशन का पर्यवेक्षण करेंगे।

4.1.2.9 अपने क्षेत्राधिकार में कर्मचारियों / शिक्षकों की आवश्यकताआपूर्ति, समायोजन, समानीकरण संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे और तदर्थ निर्धारित प्रक्रिया के अधीन उस सन्दर्भ में उपयुक्त माध्यम से समुचित कार्यवाही करेंगे।

4.1.2.10 राज्य स्तरीय बैठकों में सम्भाग की शैक्षिक एवं अन्य कार्यक्रमों/गतिविधियों से सम्बन्धित प्रगति का प्रस्तुतिकरण करेंगे।

5.0 वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR)के संबंध में व्यवस्था

5.1 ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुलों में कार्यरत अधिकारियों के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) की व्यवस्था परिशिष्ट-12 के अनुसार होगी।

शिक्षा विभाग राजस्थान से सम्बंधित समस्त अधिकृत जानकारी हेतु आप राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की पूर्ण जानकारी हेतु निम्नलिखित लिंक पर जाए।

<https://education.rajasthan.gov.in/secondary#>

राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग ने गत वर्षों में तीव्र विकास कर विद्यार्थियों हेतु गुणात्मक शिक्षण प्रदान करने का कार्य किया है यदि आप इसमे सहभागिता निभाकर सहयोग करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिये। पूर्ण जानकारी हेतु-

Gyan Sankalp Portal, Mukhymantri Vidya Dan Kosh in Rajasthan, ज्ञान संकल्प पोर्टल, मुख्यमंत्री विद्यादान कोष, राजस्थान

Https://Shivira.com/Gyan-Sankalp-Portal-Mukhyamantri-Vidya-Dan-Kosh-In-Rajasthan-%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%Be%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%Aa-%E0%A4%Aa%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D/

PREVIOUS

NEXT

« Privilege Leave: Admissibility, Rules and Performa for apply.

Rajasthan Panchayat Raj Act 1994: Main Provisions »

TAGS:

ACBEO

APAR

BRC

BRCF

CBEO

CDEO

CRC

DDO

director

directort

DPC

frame work

Mentor School

PEEO

Planning Implementation & Management

PRC

principal

Resource Center

rmsa

senior teacher

SMSA

TE

teacher

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

अनुकम्पा

अपडेशन

अवलोकन रिपोर्ट

आदर्श विद्यालय

आरसीएससीई

आहरण वितरण अधिकारी

उत्तरदायित्व

एसआईक्यूई

एसीपी

कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय

कार्यतंत्र

कार्यालयाध्यक्ष

गैर शैक्षणिक कार्मिक

चिकित्सा एवम स्वास्थ्य

चोरी एवम गबन प्रकरण

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

जिला

जिला परियोजना समन्वयक

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

जिला स्तरीय

डाइट

दिशा निर्देश

नई दिल्ली

निजी विद्यालय पोर्टल

निदेशालय

नियम-259

निःशुल्क एवम अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार

निःशुल्क प्रवेश

न्यायालय प्रकरण

पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

पंचायत रिसोर्स सेंटर

परिशिष्ट

पर्यवेक्षण

पुनर्गठन

पेंशन प्रकरण

प्रबन्धन

प्रस्तावना

प्राचार्य-डाइट

ब्लॉक

ब्लॉक सन्दर्भ केंद्र प्रभारी

ब्लॉक स्तरीय

ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल

भारत सरकार

भूमिका

मंत्रलायिक

महिला एवम बाल विकास विभाग

मार्गदर्शी विद्यालय

मासिक बैठक

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केंद्र प्रभारी

रमसा

राजस्थान पंचायती राज नियम

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

राप्राशिप

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

लोकसभा

वरिष्ठ अध्यापक

वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

विधानसभा

शारदे छात्रावास

शाला दर्पण

शाला दर्शन

शिक्षा सम्भाग अधिकारी

शैक्षणिक

शैक्षणिक गुणवत्ता

संकुल सन्दर्भ केंद्र

समस्

समस्या

सम्भाग

सम्भाग स्तरीय अधिकारी

संयुक्त निदेशक

संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान

संस्था प्रधान

संस्थापन सम्बंधित कार्य

सार्वजनिक परीक्षा

सीरसीएफ

सूचना का अधिकार

स्कूल शिक्षा विभाग

स्थाईकरण

स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल

Leave a Comment

RELATED POST

Rajasthan Class Promotion Order

RTE 2009 | Right to Free and Compulsory Education 2009

प्रोबेशन अवधि में असाधारण अवकाश सम्बंधित नियम | Rules related to extraordinary leave during probation period

[Privacy Policy](#) [Disclaimer](#) [Contact Us](#)

Developed by [ABCsteps.com](#)

